

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

बिहार राज्य और अन्य

बनाम

मो. एजाज कौसर खान और अन्य

2018 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 11447

में

2022 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 805

[के साथ 2018 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 15967 में 2023 की लेटर्स पेटेंट
अपील सं. 735]

25 जून, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी. भजंत्री और माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.बी.प्र.सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या दिनांक 26.11.2008 का नीतिगत निर्णय, जिसने तालीमी मरकज स्वयंसेवी शिक्षकों की नियुक्ति को विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय तक सीमित कर दिया था, संवैधानिक रूप से वैध है और क्या ऐसी नियुक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत बरकरार रखी जा सकती हैं?

हेडनोट्स

संवैधानिक कानून - सरकारी नौकरियों में आरक्षण - धर्म-आधारित वर्गीकरण - अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन 26.11.2008 की नीति ने तालीमी मरकज में स्वयंसेवी शिक्षक पदों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के मुसलमानों तक सीमित कर दिया। न्यायालय ने माना कि यह समानता के अधिदेश का उल्लंघन करता है और अनुच्छेद 14 और 16 के तहत स्वीकार्य नहीं है।

निर्णय: नीति को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया गया; सार्वजनिक पद किसी भी धार्मिक समूह के लिए आरक्षित नहीं किए जा सकते। [अनुच्छेद 8, 15-16]

सार्वजनिक रोजगार - संवैधानिक आदेशों का पालन - अनुच्छेद 16(2) - केवल धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं। सामाजिक उत्थान की आड़ में भी, धर्म के आधार पर की गई नियुक्तियाँ अनुच्छेद 16(2) में अवसर की समानता के प्रावधान का उल्लंघन करती हैं। सकारात्मक कार्रवाई सामाजिक और शैक्षिक मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए, न कि धर्म पर।

निर्णय: मुस्लिम उम्मीदवारों पर प्रतिबंध अमान्य; इस नीति के तहत की गई नियुक्तियाँ भी अमान्य हैं। [अनुच्छेद 10-11, 14-15]

न्यायिक समीक्षा - अधीनस्थ विधान को रद्द करने की स्वप्रेरणा शक्ति - मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। *देवमुनि पासवान और बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत बनाम बिहार राज्य मामले* में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए, न्यायालय ने दोहराया कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले अधीनस्थ विधान को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत स्वप्रेरणा से रद्द किया जा सकता है।

निर्णय: समानता के सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए न्यायालय को 26.11.2008 की नीति को अमान्य करने का अधिकार है। [अनुच्छेद 9, 13]

सेवा कानून - बिना विज्ञापन के नियुक्तियाँ - अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन - उचित प्रक्रिया आवश्यक। *रेणु बनाम जिला एवं सत्र न्यायाधीश और उमादेवी (3)* के मामले में, न्यायालय ने दोहराया कि सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियाँ खुली, प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए होनी चाहिए। विवादित नीति के तहत नियुक्तियों में ऐसी प्रक्रिया का अभाव था।

निर्णय: चयन प्रक्रिया अमान्य; वैध प्रक्रिया के बिना नियमितीकरण संभव नहीं।

[अनुच्छेद 12-14]

न्याय दृष्टान्त

रेणु एवं अन्य बनाम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी, (2014) 14 एससीसी 50 – इसके बाद; कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी (3) , (2006) 4 एससीसी 1 - दोहराया गया; अमृत यादव बनाम झारखंड राज्य , दीवानी अपील संख्या 13950-13951/2024 – लागू; अंजुम कादरी बनाम भारत संघ , (2025) 5 एससीसी 53 – उद्धृत; देवमुनि पासवान बनाम बिहार राज्य , एलपीए संख्या 508/2022 - पर निर्भर; बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत बनाम बिहार राज्य , एसएलपी (सी) संख्या 18983/2023 - पुष्टि की गई

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान – अनुच्छेद 14, 15, 16, 46, 309; नीति परिपत्र दिनांक 26.11.2008 (तालीमी मरकज़ योजना) - रद्द किया गया

मुख्य शब्दों की सूची

तालीमी मरकज़; स्वयंसेवी शिक्षक; धार्मिक आरक्षण; संवैधानिक समानता; अनुच्छेद 14 और 16; अधीनस्थ विधान; धर्मनिरपेक्षता; सार्वजनिक पद; केवल मुस्लिम आरक्षण; उमादेवी सिद्धांत; देवमुनि पासवान; अंजुम कादरी; सचचर समिति

प्रकरण से उत्पन्न

सीडब्ल्यूजेसी संख्या 11447/2018 में दिनांक 27.07.2022 के निर्णय के विरुद्ध अपील , जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट को स्वीकार कर लिया था और तालीमी मरकज़ योजना के अंतर्गत स्वयंसेवी शिक्षकों की नियुक्तियों को वैध माना था। खण्डपीठ ने नीति को असंवैधानिक करार देते हुए नियुक्तियों को अमान्य घोषित कर दिया।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(2022 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 805 में)

अपीलकर्ता/ओं की ओर से : श्रीमती बिनीता सिंह, एससी 28

श्री निशांत कुमार झा, एससी 28 के एसी

प्रतिवादी/ओं की ओर से : श्री बसंत कुमार चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता

(2023 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 735 में)

अपीलकर्ता/ओं की ओर से : सुश्री बिनीता सिंह, एससी 28

श्री निशांत कुमार झा, एससी 28 के एसी

प्रतिवादी/ओं की ओर से : श्री राजीव कुमार सिंह, अधिवक्ता

हेडनोट्स रिपोर्टर द्वारा तैयार किया गया: सुश्री आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2018 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 11447
में
2022 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 805

=====

1. बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, लोक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. जिला दंडाधिकारी, सीतामढ़ी।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, सीतामढ़ी।
6. जिला कार्यक्रम अधिकारी साक्षरता, सीतामढ़ी।
7. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, डुमरा प्रखंड, सीतामढ़ी।
8. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, नानपुर प्रखंड, सीतामढ़ी।
9. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, रुनीसैदपुर प्रखंड, सीतामढ़ी।
10. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, पुपारी प्रखंड सीतामढ़ी।
11. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, बेलसंद प्रखंड, सीतामढ़ी।
12. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, बैरगनिया प्रखंड, सीतामढ़ी।
13. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, बाजपती प्रखंड, सीतामढ़ी।
14. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, परिहार प्रखंड, सीतामढ़ी।
15. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, मेजरगंज प्रखंड, सीतामढ़ी।
16. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, सोनबरसा प्रखंड, सीतामढ़ी।
17. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, परसौनी प्रखंड, सीतामढ़ी।
18. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, सुपी प्रखंड, सीतामढ़ी।

19. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, बोखारा प्रखंड, सीतामढ़ी।

.....अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. मो. एजाज कौसर खान, पिता-मो. अज़फ़रुल कौसर खान, निवासी, ग्राम+डाकघर-गौरी, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी।
2. शाहिद रेज़ा, पिता-मो. अब्बास, निवासी, ग्राम+डाकघर- मेहसौल, थाना-रुनी सैदपुर, जिला-सीतामढ़ी।
3. मो. नियाज अशरफ, पिता-मो. मोइन अशरफ, निवासी, गांव-साहपुर, डाकघर-अवापुर, थाना-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी।
4. मो. ज़की हैदर खान, पिता-मो. हसीन हैदर खान, निवासी, ग्राम+डाकघर-गौरी, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी।
5. इशरत खातून, पिता-मो. आतिबुल खान, निवासी, ग्राम+डाकघर-रुन्नीसैदपुर, थाना-रुन्नीसैदपुर, जिला-सीतामढ़ी।
6. आबदा खातून, पिता-मो. मजहरुल हक, निवासी, गांव-गिद्धा फुलवरिया, डाकघर-सुहाई गढ़, थाना-रुन्नीसैदपुर, जिला-सीतामढ़ी।
7. मो. शकील अहमद, पिता-मो. सैरुल होदा, निवासी, ग्राम+डाकघर-शिरखिरिया, थाना-रुन्नीसैदपुर, जिला-सीतामढ़ी।
8. मो. अफरोज खान, पिता-मोहम्मद जसीम खान, निवासी, ग्राम+डाकघर-बैलगढ़ मननपुर वार्ड 01 थाना-रुन्नीसैदपुर, जिला-सीतामढ़ी।
9. मो. इस्तयाक आलम, पिता-मो. जफीरुल हसन, निवासी, ग्राम+डाकघर-गौस नगर, थाना-रुन्नीसैदपुर, जिला-सीतामढ़ी।

10. सुल्ताना प्रवीण, पिता-अब्दुल आलम, निवासी, ग्राम+डाकघर रक्शिया, थाना- रून्नीसैदपुर, जिला-सीतामढ़ी।
11. नजरे आलम, पिता-मो. अमीरुल हक, निवासी, ग्राम-गिद्धा फुलवरिया, डाकघर-सुहाई गढ़, थाना-रून्नीसैदपुर, जिला-सीतामढ़ी।
12. अफिरा जबीन, पिता-अहमद रजा, निवासी, ग्राम-मौना, डाकघर-ओलीपुर, थाना-रून्नीसैदपुर, जिला-सीतामढ़ी।
13. मोहम्मद जुगनो, पिता-अब्दुल मन्न, निवासी, ग्राम-नानपुर उत्तर, डाकघर-नानपुर, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी।
14. इफ्तेखार अहमद, पिता-हसीन अख्तर, निवासी, ग्राम-नानपुर उत्तरी, डाकघर-नानपुर, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी।
15. बेबी जहान, पिता-मो.एजाज कौसर खान, निवासी, ग्राम+डाकघर-गौरी, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी।
16. नाहिदा तब्बसुम, पिता-तौकीर आलम, निवासी, ग्राम+डाकघर-मझौर, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी।
17. गाजी असदुल्लाह, पिता-मो. सफीर, निवासी, ग्राम+डाकघर-गौरी, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी।
18. जेबा खानम, पिता-इसरारुल हक, निवासी, ग्राम+डाकघर-मझौर, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी।
19. इम्बेसात बानो, पिता-मो. आसिफ, निवासी, ग्राम-बहुरार, डाकघर-दादरी, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी।
20. मो. असदुज ज़मा खान, पिता-मसीहुजामा खान, निवासी, ग्राम+डाकघर-गौरी थाना- नानपुर, जिला-सीतामढ़ी।

21. मो. एहसान इलाही, पिता-मो. मोहसिन, निवासी, ग्राम-लोहैथा, डाकघर-दोरपुर, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी।
22. जूली खानम, पिता-इसरारुल हक खान, निवासी, ग्राम+डाकघर-मझौर, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी।
23. मो. नौसाद आलम, पिता-मो. अब्दास, निवासी, ग्राम+डाकघर-गौरी, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी।
24. फरजाना बेगम, पिता-अब्दुल मन्न, निवासी, ग्राम+ डाकघर-पंडौल बुजुर्ग, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी।
25. शाहीन प्रवीण, पिता-मो.अख्तर, निवासी, ग्राम+डाकघर-दोरपुर, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी।
26. अब्दुल्ला खालिद, पिता-मो. हलीम, निवासी, ग्राम+डाकघर-रसूलगंज कोइली, थाना- नानपुर, जिला-सीतामढ़ी।
27. मो. शकील, पिता-मो. इस्लाम, निवासी, ग्राम+डाकघर-दोरपुर, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी।
28. रेहान हसन कादरी, पिता-नकी अहमद, निवासी, ग्राम+डाकघर-दोरपुर, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी।
29. मो. मकसूद आलम, पिता-मो. मंसूर आलम, निवासी, ग्राम+डाकघर-मझौर, थाना- नानपुर, जिला-सीतामढ़ी।
30. कमरे आशिक खान, पिता-मकरुज ज़मा खान, निवासी, ग्राम+डाकघर-गौरी, थाना- नानपुर, जिला-सीतामढ़ी।
31. जेबा सहनाज, पिता-मो. अब्बास, निवासी, वार्ड-09, मेहसौल पूर्वी, थाना-सीतामढ़ी, जिला-सीतामढ़ी।

32. मो. गुलाम गौस, पिता-मो. महताब खान, निवासी, वार्ड-09, मेहसारुल पूर्वी, थाना-सीतामढी, जिला-सीतामढी।
33. नाजरा पैकर, पिता-महफूज खान, निवासी-मेहसौल पूर्वी, थाना-सीतामढी, जिला-सीतामढी।
34. साहिना प्रवीण, पिता-अमीन सरवर खान, निवासी, ग्राम+डाकघर-मेहसौल पूर्वी, थाना-सीतामढी, जिला-सीतामढी।
35. नायला खातून, पिता-साबिर अहमद, निवासी, ग्राम+डाकघर-भाबदेहपुर, थाना+जिला-सीतामढी।
36. इन्तेखाब हुसैन, पिता-जाकिर हुसैन, निवासी, ग्राम+डाकघर-राजोपट्टी, थाना-सीतामढी, जिला-सीतामढी।
37. अरशद अली, पिता-मो. ज़मसैद अली, निवासी-मेहसौल, थाना-सीतामढी, जिला-सीतामढी।
38. मो. हासिम, पिता-लाल मोहम्मद, निवासी, ग्राम-बस्तपुर, डाकघर-अमघट्टा, थाना- डुमरा, जिला-सीतामढी।
39. नुसरत प्रवीण, पिता-सब्बीर आलम खान, निवासी, ग्राम+डाकघर-राजोपट्टी, थाना-सीतामढी, जिला-सीतामढी।
40. समीर, पिता-मो. समीम, निवासी, ग्राम+डाकघर-मेजरगंज, थाना-मेजरगंज, जिला-सीतामढी।
41. सोनी खातून, पिता-मो. समीम, निवासी, ग्राम+डाकघर-मेजरगंज, थाना-मेजरगंज, जिला-सीतामढी।
42. ज़नेसर आलम, पिता-मो. जहीर आलम, निवासी, ग्राम-धनहरा, डाकघर-परशुरामपुर, डाकघर-परसौनी, जिला-सीतामढी।
43. रिजवाना खातून, पिता-मो. कमरुद्दीन, निवासी, ग्राम-डेमा, डाकघर-मदनपुर, थाना-परसौनी, जिला-सीतामढी।

44. सगुफ्ता प्रवीण, पिता-मो. सगीर, निवासी, ग्राम-डेमा, डाकघर-मदनपुर, थाना-परसौनी, जिला-सीतामढ़ी।
45. मो. रेयाज, पिता-मो. रहमत अली, निवासी, ग्राम-नगर पंचायत बेलसंड, थाना-बेलसंड, जिला-सीतामढ़ी।
46. मुसरत प्रवीण, पिता-मो. अहमद, निवासी, ग्राम-बरियारपुर, डाकघर-कंसार, थाना- बेलसंड, जिला-सीतामढ़ी।
47. सहीमुल हक, पिता-जैनिल हक, निवासी, गांव-मौला नगर, डाकघर-पचनौर, थाना-बेलसंड, जिला-सीतामढ़ी।
48. ओजैर आलम रिज़वी, पिता-मो. अब्बास, निवासी, नगर पंचायत बेलसंड, थाना-बेलसंड, जिला-सीतामढ़ी।
49. मो. शर्फे आलम, पिता-मो. सब्बीर, निवासी, ग्राम+डाकघर-बनौल, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी।
50. प्रवीण ज़हान, पिता-मो. क्रमरे आलम, निवासी, ग्राम+डाकघर-बनौल, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी।
51. नजराना खातून, पिता-मो. मुर्तुजा, निवासी, ग्राम+डाकघर-रामनगरा गम्हरिया, थाना-सुप्पी, जिला-सीतामढ़ी।
52. मो. अनवर आलम, पिता-मोहिबुर रहमान, निवासी, ग्राम-मिर्जापुर, डाकघर-मदारीपुर, थाना-बजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी।
53. नूर जहाँ प्रवीण, पिता-मो. अली हुसैन खान, निवासी, ग्राम+डाकघर-बेदौल, थाना-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी।
54. कौशर प्रवीण, पिता-मो. नासिर आलम, निवासी, ग्राम+डाकघर-बेलमोहन हलीम टोल, थाना-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी।

55. मो. तजुद्दीन खान, पिता-मो. वारिस खान, निवासी-ग्राम पंचायत जनकपुर रोड राजबाग, थाना-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी।
56. मो. आरिफ हुसैन, पिता-मो. अंसार, निवासी, ग्राम-गंगवाड़ा, डाकघर-पुपरी, थाना-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी।
57. समा रहमान, पिता-मो. हबीबुर रहमान, निवासी, ग्राम+डाकघर-बल्हा मकसूदनपुर, थाना-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी।
58. इम्तियाज अहमद, पिता-सादिक हुसैन, निवासी, गांव-मौला नगर, डाकघर-अवापुर, थाना-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी।
59. मो. ज़ाहिद हुसैन, पिता-मो. गुलाम कादिर, निवासी-ग्राम पंचायत जनकपुर रोड, थाना-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी।
60. तनवीर जमाल, पिता-ज़हीर अहमद, निवासी, ग्राम-बेल मोहन, डाकघर-पुपरी, थाना-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी।
61. मो. वसी अहमद, पिता-सैरुल होदा, निवासी, ग्राम-बेलमोहन हलीमपुर, डाकघर-बाजार समिति, थाना-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी।
62. मो. जावेद, पिता-मो. ज़हीर अहमद, निवासी, गाँव-अहियातोल, डाकघर-अवापुर, थाना-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी।
63. मो. फैयाज अहमद, पिता-मो. जियाउल्लाह, निवासी, ग्राम-अहियातोल, डाकघर-अवापुर, थाना-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी।
64. तरन्नुम बेगम, पिता-मो. मतिन अशरफ, निवासी, ग्राम-साहपुर, डाकघर-अवपुर, थाना-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी।

65. मो. नासिर आलम, पिता-मो. शब्बीर आलम, निवासी, ग्राम-बेलमोहन हलीम टोल, डाकघर-बाजार समिति, थाना-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी।
66. इमरान खान, पिता-मो. कासिम खान, निवासी, ग्राम-पुपरी, डाकघर-रतन लक्ष्मी, थाना-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी।
67. मो. हकीम खान, पिता-मो. सलीम खान, निवासी, ग्राम+डाकघर-गंगती, थाना-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी।
68. मो. दस्तागीर, पिता-मो. जहीर जमल, निवासी, ग्राम-बेलमोहन हलीम टोल, डाकघर-बाजार समिति, थाना-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी।
69. मो. सादिक हुसैन, पिता-मो. तसलीम, निवासी, ग्राम+डाकघर-बाचरपुर, थाना-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी।
70. सरिफुर रहमान, पिता-मो. मुर्शिद खान, निवासी, ग्राम-मडपा, डाकघर-पिपरदादन, थाना-कान्हौली, जिला-सीतामढ़ी।
71. मो. सनाउल्लाह खान, पिता-मो. गुलचा खान, निवासी, गांव-मडपा, डाकघर-पिपरदादन, थाना-कान्हौली, जिला-सीतामढ़ी।
72. कौशर अली खान, पिता-मो. हुसैन खान, निवासी, ग्राम-फतेहपुर, डाकघर-भुथी, थाना-सोनबरसा, जिला-सीतामढ़ी।
73. मो. साजिद अली खान, पिता-मो. नसरुल्ला खान, निवासी, ग्राम-मडपा, डाकघर-पिपरदादन, थाना-कान्हौली, जिला-सीतामढ़ी।
74. मो. सलीम राजा, पिता-मो. मुजीबुर रहमान खान, निवासी, ग्राम-फतेहपुर, डाकघर-भूथी, थाना-सोनबरसा, जिला-सीतामढ़ी।

75. गुलाम समदानी, पिता-मो. अयूब, निवासी, ग्राम-बारा, डाकघर-लाहुरिया, थाना-बेला, जिला-सीतामढ़ी।
76. साहिना प्रवीण, पिता-मो. अंसारुल हक, निवासी, गांव-बारा, डाकघर-लाहुरिया, थाना-बेला, जिला-सीतामढ़ी।
77. मो. मुस्ताक, पिता-मो. अनवारुल हक, निवासी, गांव-बारा, डाकघर-लाहुरिया, थाना-बेला, जिला-सीतामढ़ी।
78. मो. नूर ऐन, पिता-मो. सिबली, निवासी, ग्राम-बेठा, डाकघर-बेठा, थाना-बेला, जिला-सीतामढ़ी।
79. असलम जावेद, पिता-अब्दुल वदूद, निवासी, ग्राम+डाकघर-भाखुराहार वार्ड 16 थाना-बैरगनिया, जिला-सीतामढ़ी।
80. मो. वझुल कुमार खान, पिता-मो. नूरुल्ला खान, ग्राम--भटुलिया, डाकघर-बेल, थाना-बैरगनिया, जिला-सीतामढ़ी।
81. आरफ़ा सदफ़, पिता-मो. वझुल कमर खान, गांव-भटुलिया, डाकघर-बेल, थाना-बैरगनिया, जिला-सीतामढ़ी।
82. हुस्ना बानो, पिता-मो. अबरारुल हक, निवासी, ग्राम+डाकघर-भाकुरहर, थाना-बैरगनिया, जिला-सीतामढ़ी।
83. मो. फिरोज खान, पिता-अब्दुल खान, निवासी, ग्राम+डाकघर-भाकुरहर वार्ड 15, थाना-बैरगनिया, जिला-सीतामढ़ी।
84. मो. जफर इक्बाल, पिता-मो. समसुद्दीन, निवासी, ग्राम+डाकघर-मारपा ताहिर, थाना-बैरगनिया, जिला-सीतामढ़ी।

85. मो. सदर आलम, पिता-अब्दुल खालिक, निवासी, ग्राम+डाकघर-मारपा ताहिर, थाना-बैरगनिया, जिला-सीतामढ़ी।
86. मो. फिरदौस आलम खान, पिता-अब्दुल हाफिज़ खान, निवासी, ग्राम+डाकघर-भाकुराहार वार्ड नं. 15, थाना-बैरगनिया, जिला-सीतामढ़ी।
87. अफरीदा खानम, पिता-एजाजुल खान, निवासी, गांव-जोरियाही, डाकघर-बेल, थाना-बैरगनिया, जिला-सीतामढ़ी।
88. शफकत जहां, पिता-मो. अली हसनैन, निवासी, ग्राम+डाकघर-भाकुराहार अस्पताल रोड 15, थाना-बैरगनिया, जिला-सीतामढ़ी।
89. मो. अमजद रेज़ा, पिता-मो. अबरारुल हसन, निवासी, ग्राम+डाकघर-बाथ अस्ली, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी।
90. मो. नौशाद आलम, पिता-मो. यूनुस, निवासी, ग्राम+डाकघर-भाकुराहार अस्पताल रोड 17, थाना-बैरगनिया, जिला-सीतामढ़ी।
91. इरफान आलम, पिता-मो. बदिउज़्ज़म्मा, निवासी, ग्राम-डेमा, डाकघर-मदनपुर, थाना-परसौनी, जिला-सीतामढ़ी।
92. नुजहत जहां, पिता-मो. मुजप्फर आलम, निवासी, ग्राम+डाकघर-रायपुर, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी।
93. मो. असरफ अली, पिता-मो. अबुल सलाम, निवासी, ग्राम-डेमा, डाकघर-मदनपुर, थाना-परसौनी, जिला-सीतामढ़ी।
94. अनवरी बेगम, पिता-मो. जफरूल इस्लाम, निवासी, ग्राम+डाकघर-बचरपुर, थाना-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी, निवासी, ग्राम+डाकघर-बचरपुर, थाना-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी।

95. हसन तौहीद, पिता-अब्दुस समद, निवासी, ग्राम+डाकघर-गरहा, थाना-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी।

.... उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ
2018 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 15967
में
2023 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 735

=====

1. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. जिला दंडाधिकारी, माधेपुरा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माधेपुरा।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी साहित्य, माधेपुरा।
6. जिला कार्यक्रम अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान, माधेपुरा।
7. जिला कार्यक्रम अधिकारी स्थापना, माधेपुरा।
8. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, माधेपुरा।

.....अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. मो. सजाद, पिता-मो. एलियास, डाकघर-सपरदाह, थाना-पुरैनी, जिला-मधेपुरा में।
2. मो. सारिक अनवर, पिता-मो. हासीम, नरदाह पूरब टोला, डाकघर-नया तोला, थाना-पुरैन मधेपुरा में।
3. नरगिस आरा, पिता-मो. मोहिद, नरदाह पूरब तोला, डाकघर-नया टोला, थाना-पुरैनी, जिला-मधेपुरा में।
4. मो. खालिक, पिता-कलीमुल्लाह मो. डाकघर-पुरैनी, थाना-श्रीनगर, VI क-कुमारखंड, जिला-मधेपुरा में।
5. मो. कलाम, पिता-मो. सईद, डाकघर-पुरैनी, VI क-पुरैनी, जिला-मधेपुरा में।
6. मो. फिरोज आलम, पिता-मो. घयास उद्दीन, रहाता डाकघर-रहाता फानन, VI क-उदाकिशंज, जिला-मधेपुरा में।
7. मो. अनीसुर रहमान, पिता-मो. इदरीस, पोखरिया, डाकघर-रामनगर, थाना-श्रीनगर, कुमारखंड, जिला-मधेपुरा में।
8. मो. हबीबुर रहमान, पिता-मो. मोतीउर रहमान, उजानी टोला, डाकघर-रहता, थाना-उदाकिशनगंज, जिला-मधेपुरा में।
9. मो. रुस्तम, पिता-मो. इलियास, जोरावरगंज, डाकघर-इसरायन कला, VI क-कुमारखंड, जिला-मधेपुरा में।
10. नजामा नसरीन, पिता-मो. मजफ़्फ़र अली, वार्ड नं. 11, लहेरी टोला, जिला-मधेपुरा।
11. बीबी मुश्तरीना खातून, पिता-मो. फिरोज आलम, पुरैनी, डाकघर-पुरैनीम, VI क-कुमारखंड, जिला-मधेपुरा में।

12. अरसदुल्ला, पिता-अब्दुर राउत, पुरैनी, डाकघर-पुरैनी, VI क-कुमारखंड, जिला-मधेपुरा में।
13. मो. कामिल, पिता-मो. निसारुद्दीन, सरहद गति, डाकघर-पुरैनी, VI क-कुमारखंड, जिला-मधेपुरा में।
14. मो. आसिफ अली, पिता-मो. शफीकउद्दीन, झांझरी, डाकघर-झांझरी, VI क-गवालपारा, जिला-मधेपुरा में।
15. अब्दुल कादिर रहमानी, पिता-मो. सबीम, राहता, VI क-उदाकिशुंज, जिला-मधेपुरा में।
16. यास्मीन परवीन, पिता-मो. सईदुल आलम, VI क-नयनगर, जिला-मधेपुरा ।
17. मो. सलमान, पिता-मो. ढोलन, डाकघर-सिमराहा, VI क-मथाही, जिला-मधेपुरा में।
18. पिता-मोहिउद्दीन, पिठाई, डाकघर-मथाही, VI क-मधेपुरा, जिला-मधेपुरा में।
19. रिजवाना शहनाज, पिता-मो. मंजूर आलम, पिठाही, डाकघर-मथल, थाना-मधेपुरा, जिला-मधेपुरा में।
20. राजदा खातून, पिता-मो. अलमिन, डाकघर-सुखासन, VI क-शिगेश्वर, जिला-मधेपुरा में।
21. इशरत प्रवीण, पिता-जवाहर, डाकघर-सुखासन, VI क-शिगेश्वर, जिला-मधेपुरा में।
22. अरशद आलम, पिता-अमीरुल आलम, डाकघर-यदुपट्टी, VI क-कुमारखंड, जिला-माधेपुरा में।
23. जफर आलम, पिता-अनिरुल आलम, डाकघर-यदुपट्टी, VI क-कुमारखंड, जिला-मधेपुरा में।
24. राबिया खातून, पिता-जमाल अहमद, डाकघर-यदुपट्टी, VI क-कुमारखंड, जिला-मधेपुरा में।
25. बीबी तबस्सुम बेगम, पिता-मो. जाहिद हसन, लालकुरिया, डाकघर-मंगवारा, VI क-कुमारखंड, जिला-मधेपुरा।

26. अब्दुल नकीब, पिता-घयासुद्दीन, लालकुरिया, डाकघर-लालकुरिया, VI क श्रीनगर, जिला-मधेपुरा में।
27. मो. कलाम आज़ाद, पिता-मो. मकबुल, झितकिया, थाना-सिंगेश्वर VI क-सिंगेश्वर, जिला-मधेपुरा में।
28. बरीक आलम, पिता-मो. एच. मोहिद, झिटकिया, डाकघर VI क-सिंगेश्वर, जिला-मधेपुरा में।
29. अब्दुस स्लैम, पिता-मो. नईम उद्दीन, सुखासन, डाकघर-सिंगेश्वर VI क सिंगेश्वर, जिला-मधेपुरा में।
30. मो. असद आलम, पिता-मो. मोईन डाकघर-पुरैनी, थाना-श्रीनगर, जिला-मधेपुरा।
31. मो. सहज़ाद आलम, पिता-मो. सलीम डाकघर-पुरैनी, थाना-श्रीनगर, जिला-मधेपुरा में।

.... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

(2022 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 805 में)

अपीलकर्ता/ओं की ओर से : श्रीमती बिनीता सिंह, एससी 28

श्री निशांत कुमार झा, एससी 28 के एसी

प्रतिवादी/ओं की ओर से : श्री बसंत कुमार चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता

(2023 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 735 में)

अपीलकर्ता/ओं की ओर से : सुश्री बिनीता सिंह, एससी 28

श्री निशांत कुमार झा, एससी 28 के एसी

प्रतिवादी/ओं की ओर से : श्री राजीव कुमार सिंह, अधिवक्ता

=====

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भूजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्र. सिंह

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भूजंत्री)

दिनांक: 25-06-2025

पहले के आदेशों के अनुसार जन शिक्षा निदेशक श्री अनिल कुमार न्यायालय में उपस्थित हैं।

2. अपीलकर्ताओं ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सीडब्ल्यूजेसी संख्या 11447/2018 में पारित 27.07.2022 के आदेश का विरोध किया है। राज्य ने 6 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के नाबालिग समुदाय के छात्रों के उत्थान के लिए एक योजना विकसित की है, जिसे तालीमी मरकज़ के नाम से जाना जाता है। इस योजना के कार्यान्वयन के नाम पर, मरकज़ (प्राथमिक विद्यालय) में 20 से 40 बच्चों के लिए एक शिक्षक, 40 से 100 बच्चों के लिए दो शिक्षक और 100 से अधिक बच्चों के लिए तीन शिक्षक नियुक्त करने का प्रावधान है। कक्षा 2 तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी थी। शिक्षक को शिक्षक स्वयंसेवक (स्वयंसेवी शिक्षक) के रूप में जाना जाना था। उन्हें अत्यंत पिछड़े मुस्लिम समुदाय (मुस्लिमों से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा समुदाय) से नियुक्त किया जाना था।

3. प्रतिवादियों को प्रारंभ में वर्ष 2009 से 2014 तक स्वयंसेवक/शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 11447/2018 का अनुलग्नक 7)। इसके बाद, राज्य ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि प्रतिवादियों, जिन्हें 26.11.2008 की योजना के तहत स्वयंसेवक/शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, योजना और कानून के अनुरूप नहीं थे क्योंकि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय की परिभाषा में नहीं आते हैं, इसलिए उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 11447/2018 दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

4. विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को 27.07.2022 को इस सीमा तक अनुमति दे दी कि प्रतिवादी तालीमी मरकज़ के स्वयंसेवकों के पद पर बने रहने के हकदार हैं। राज्य/अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय की श्रेणी में नहीं आते हैं, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, नीति की भावना से इस सीमा तक अवगत नहीं कराया गया है कि प्रतिवादी स्वयंसेवक/शिक्षक के रूप में चयन और नियुक्ति का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं। इस सीमा तक, विद्वान एकल न्यायाधीश ने त्रुटि की है।

5. प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री बसंत कुमार चौधरी ने निर्देशानुसार प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 27.07.2022 के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि प्रतिवादीगण के चयन और नियुक्ति की तिथि पर संबंधित प्राधिकारी ने प्रत्येक प्रतिवादी के विवरण को दिनांक 26.11.2008 के नीतिगत निर्णय के साथ इस सीमा तक ध्यान में रखा है कि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय की श्रेणी में आते हैं, इसलिए राज्य/अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में कोई सार नहीं है।

6. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

7. दिनांक 26.11.2008 के नीतिगत निर्णय को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक है और यह इस प्रकार है:

"तालिमी मरकज

मार्गदर्शिका

(मुस्लिम समुदाय के 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए गैर आवासीय सेतु कार्यक्रम)

मुस्लिम समुदाय के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक तथा आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़े मुस्लिम समुदाय के प्रत्येक

गांव/टोला में वैकल्पिक तथा नावाचारी शिक्षा के अन्तर्गत एक "तालिमी मरकज" प्रारम्भ किया जायेगा।

विशेषतायें:

1. इसमें कक्षा 2 तक की दक्षता प्रत्येक बच्चे को सुनिश्चित की जायेगी।
2. मरकज के सभी बच्चों को दो वर्ष की अवधि के बाद सामान्य विद्यालय की कक्षा 3 में नामांकन कराया जायेगा।
3. मरकज में प्रत्येक 20 बच्चे पर एक शिक्षक तथा बच्चों की संख्या 40 या उपर होने की स्थिति में दो शिक्षक तथा 100 अथवा 100 से उपर होने पर तीन शिक्षक होंगे।
4. इस मरकज के शिक्षक को स्वयंसेवक के नाम से जाना जायेगा।
5. स्वयंसेवक आर्थिक तथा सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़े मुस्लिम समुदाय से प्राथमिकता के आधार पर संबंधित मुस्लिम टोला से ही लिये जायेंगे।
6. स्वयंसेवक की न्यूनतम योग्यता मैट्रिक होगी।
7. स्वयंसेवक को मानदेय के रूप में 2000 रु. प्रतिमाह देय होगा।
8. मरकज का संचालन एक संचालन समिति के द्वारा होगा।
9. मरकज में नामांकित प्रत्येक बच्चे को पाठ्य-पुस्तक एवं अन्य शिक्षक अधिगम सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी।
10. मरकज के लिए स्थल की व्यवस्था समुदाय के तरफ से की जायेगी।
11. मरकज के सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. मध्याह्न भोजन के लिए बरतन के कय हेतु राशि मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

13. मध्याह्न भोजन तैयार करने का कार्य मरकज पर नामांकित बच्चों की माताओं की समिति "माता समिति" के द्वारा या उनके माध्यम से चुने गये सदस्यों के द्वारा किया जायेगा।

14. मरकज के बच्चों को उनकी मांग के अनुसार पाठ्य-पुस्तक हिन्दी या उर्दू में उपलब्ध करायी जायेगी।

तालिमी मरकज संचालन समिति

- मरकज-संचालन व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से हो, इसके लिये एक 8 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया जायेगा।
- संचालन समिति का गठन संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- संचालन समिति में नामांकित बच्चों के माता-पिता में से 5 सदस्य चुने जायेंगे। संचालन समिति में 5 सदस्य कौन माता-पिता होंगे इसका चुनाव नामांकित सभी बच्चों के माता-पिता द्वारा किया जायेगा। नजदीकी विद्यालय के प्राधानाध्यापक तथा विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सचिव भी संचालन समिति के सदस्य होंगे।
- संचालन समिति के चयनित 8 सदस्य आपस में मिलकर अध्यक्ष एवं सचिव का चुनाव करेंगे। अध्यक्ष एवं सचिव हर हाल में सामाजिक तथा आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़े मुस्लिम समुदाय के बच्चों के माता पिता को चुना जाए जो संचालन समिति के सदस्य भी होंगे।

100 बच्चों पर व्यय

क. स.	मद	प्रति इकाई दर	वर्षिक व्यय	अभ्युक्ति
1.	शिक्षा स्वयंसेवक 3	2000 रु०/माह/ स्वयंसेवक	2000x12x3=72000 रु	1543 रु०/बच्चा/व
2.	शिक्षा स्वयंसेवक का प्रशिक्षण (आवासीय)	70 रु०/स्वयंसेवक /दिन कुल 15 दिनों का वार्षिक	70x15x3=3150 रु०	
3.	शिक्षण अधिगम सामग्री	150 रु०/बच्चा/वर्ष	150 x 100=15000 रु०	
4.	शिक्षण अधिगम उपकरण	3500 रु०/वर्ष/ आवश्यकतानुसार	25000 रु०	
5.	केन्द्र आकस्मिकता	1800 रु०/वर्ष	15000 रु०	
	कुल		130150 रु०/वर्ष	

बच्चों को दी जानेवाली शिक्षण अधिगम सामग्री:

सेतु पठन-पाठन सामग्री, अभ्यास-पुस्तक, पाठ्य-पुस्तक एवं अन्य सहायक

पुस्तकें अधिकतम 80 रु०/ बच्चा/वर्ष

- नोट बुक 12 एक जिस्ता का/वर्ष।

- रबर -6 अदद/वर्ष।
- स्लेट -4 अदद/वर्ष।
- पेंसिल -12 अदद/वर्ष।
- कटर-12 अदद/वर्ष।
- पेंटिंग बॉक्स 2 अदद / वर्ष।
- पेंटिंग शीट 12 अदद/माह।

मरकज पर उपलब्ध करायी जानेवाली सामग्री:

1. श्यामपट्ट।
 2. सभी बच्चों को बैठने के लिये समुचित मात्रा में टाट-पट्टी।
 3. खल्ली, डस्टर आवश्यकतानुसार।
 4. पीने के पानी की सामग्री यथा-बाल्टी, जग, गिलास आदि।
 5. मरकज की सामग्री को रखने के लिये बक्सा।
 6. बच्चों को खेलने के लिए आवश्यक सामग्री जो स्थल पर उपलब्ध खेल के स्थान की उपलब्धता के अनुरूप की जायेगी।
 7. सेतु कार्यक्रम के लिए तैयार किये हुए पठन-पाठन सामग्री प्रत्येक बच्चों के लिए उपलब्ध करवाना।
 8. प्रत्येक 5 बच्चों के समूह पर एक अक्षर कार्ड, बारहखड़ी कार्ड, अंक और संख्या-कार्ड।
 9. बच्चों के अध्ययन-अध्यापन से संबंधित अन्य सामग्री जो संचालन समिति आवश्यक समझेगी।
- सामग्री का कय मरकज संचालन समिति के द्वारा किया जायेगा।
बच्चों को दिये जानेवाली सामग्री यदि शिक्षा अधिगम सामग्री मद

में निर्धारित राशि से पूरी नहीं होगी तो केन्द्र आकस्मिकता मद तथा शिक्षण अधिगम उपकरण मद से उसकी पूर्ति की जायेगी।

- प्रत्येक मरकज पर एक स्टॉक पंजी संधारित होगी जिसमें केन्द्र एवं बच्चों के लिये कंय की गयी सामग्री [पुसके मूल्य के साथ संधारित किया जायेगा। प्रत्येक केन्द्र पर एक वितरण-पंजी भी संधारित की जायेगी जिस बच्चों के लिये वितरित की गयी सामग्री को बच्चों के नाम के साथ संधारित किया जायेगा। स्टॉक पंजी तथा वितरण-पंजी को संधारित करने का कार्य मरकज के सर्वाधिक योग्यताधारी शिक्षा स्वयंसेवक के द्वारा किया जायेगा। स्वयंसेवकों की योग्यता एक समान होने की स्थिति में संचालन समिति द्वारा किसी एक शिक्षा स्वयंसेवक को इस कार्य के लिये प्राधिकृत किया जायेगा।"

8. संविधान के तहत किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति/पदोन्नति में केवल धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं है। संविधान सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति तो देता है, लेकिन सार्वजनिक रोजगार के मामलों में धर्म के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित है, जो अवसर की समानता पर जोर देता है और धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। इस संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 16 (2) सार्वजनिक रोजगार में धर्म के आधार पर भेदभाव को विशेष रूप से प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 16 (4) राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति देता है, जिसका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। वास्तव में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि केवल धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप

से पिछड़े वर्ग के पदों के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए। हमारा ध्यान समुदायों के पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने पर है, न कि उनकी धार्मिक पहचान पर।

9. इसी तरह के एक मामले में, बिहार राज्य में ग्राम चौकीदार (ग्राम चौकीदार) की नियुक्ति के मामले में, प्रथा यह है कि उसके/उसके परिजनों को ग्राम चौकीदार का पद प्रदान किया जाता है, जिसकी *देवमुनि पासवान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य* के मामले में एलपीए संख्या 508/2022 में निंदा की गई थी। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष *बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत (मगध प्रमंडल) बनाम बिहार राज्य एवं अन्य* के मामले में एसएलपी (सी) संख्या 18983/2023 में मुकदमे का विषय था। *देवमुनि पासवान (ऊपर उद्धृत)* मामले में दिए गए निर्णय को बरकरार रखा गया है, क्योंकि इसमें सार्वजनिक पद भरने से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है, यहाँ तक कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 जैसे संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 309 के साथ पढ़ा गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि रिट अदालतें संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले अधीनस्थ कानूनों को *स्वतः संज्ञान* लेकर रद्द कर सकती हैं, जिससे वे शून्य और असंवैधानिक हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि रिट अदालतों के पास कार्यवाही शुरू करने और सरकारी फैसलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति है, खासकर जब वे संवैधानिक प्रावधानों, खासकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों। इसका मतलब है कि कोई अदालत बिना किसी औपचारिक अनुरोध के, अपनी पहल पर, असंवैधानिक मानी जाने वाली सरकारी कार्यवाइयों की जांच कर सकती है और उन्हें संभावित रूप से रद्द कर सकती है।

10. राज्य दिनांक 26.11.2008 के नीतिगत निर्णय के कार्यान्वयन के उद्देश्य से स्वयंसेवकों/शिक्षकों की नियुक्ति के लिए समेकित निधि प्रदान कर रहा है। उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए, उन्होंने चयन और नियुक्ति को केवल मुस्लिम समुदाय के सामाजिक

और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों तक सीमित कर दिया है। मरकज़ के स्वयंसेवकों/शिक्षकों का पद एक सार्वजनिक पद है और इसे किसी विशेष समुदाय के लोगों तक सीमित नहीं किया जा सकता।

11. भारत में आरक्षण: धार्मिक पूर्वाग्रह के बिना सामाजिक-आर्थिक असमानताओं का समाधान: भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण का विषय महत्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी बहस को जन्म देता है। भारतीय संविधान, विशेष रूप से अनुच्छेद 14, 15 और 16, क्रमशः समानता, गैर-भेदभाव और समान अवसर की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। यहाँ बताया गया है कि केवल धर्म के आधार पर आरक्षण इन संवैधानिक अनुच्छेदों के साथ कैसे संघर्ष कर सकता है:

अनुच्छेद 14 - यह अनुच्छेद भारतीय क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को "कानून के समक्ष समानता" और "कानूनों के समान संरक्षण" की गारंटी देता है। सकारात्मक कार्रवाई और सामाजिक न्याय "कानूनों के समान संरक्षण" के अंतर्गत आते हैं। केवल धर्म पर आधारित आरक्षण नीतियों को इस सिद्धांत का उल्लंघन माना जा सकता है यदि वे नागरिकों के बीच अनुचित, मनमाने और अन्यायपूर्ण भेदभाव पैदा करती हैं या असमानता को बढ़ावा देती हैं।

अनुच्छेद 15 - यह धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। यह अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, बच्चों, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। आरक्षण के लिए धर्म को एकमात्र मानदंड के रूप में उपयोग करना, धर्म के आधार पर भेदभाव के सामान्य निषेध के विपरीत है।

अनुच्छेद 16 - यह सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान,

निवास, या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16(4) राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूमिपुत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का कोई भी प्रावधान करने की अनुमति देता है, जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। हालाँकि, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर विचार किए बिना केवल धार्मिक पहचान के आधार पर "पिछड़े वर्ग" को परिभाषित करना अनुच्छेद 16 की भावना के अनुरूप नहीं हो सकता है।

सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता- धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना और विभिन्न प्रावधानों में निहित है, जो दर्शाता है कि राज्य को धार्मिक मामलों में निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण को धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों से विचलन माना जा सकता है, जिससे सामाजिक न्याय और समानता के झंडे तले राष्ट्र को एकजुट करने के बजाय सांप्रदायिक विभाजन की संभावना बढ़ सकती है।

न्यायिक व्याख्याएँ- भारत में न्यायालयों ने कभी-कभी धर्म-आधारित आरक्षण के मुद्दे पर विचार किया है। न्यायपालिका ने आमतौर पर यह माना है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, और यद्यपि धर्म इस पहचान का एक संकेतक हो सकता है, यह एकमात्र मानदंड नहीं होना चाहिए। यह दृष्टिकोण इस अवधारणा का समर्थन करता है कि राज्य को उत्थान की आवश्यकता को संतुलित करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये उपाय समानता और धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक आदेशों को कमजोर न करें। ये सिद्धांत भारत में आरक्षण नीतियों पर चल रही चर्चाओं और कानूनी लड़ाइयों का मार्गदर्शन करते हैं, और एक ऐसे सूक्ष्म दृष्टिकोण

की आवश्यकता पर बल देते हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक असमानताओं की वास्तविकताओं को संबोधित करते हुए संवैधानिक मूल्यों का पालन करे।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 राज्य की नीति का एक निर्देशक सिद्धांत है जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित है। यह राज्य को इन समूहों को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धर्म कमजोर वर्गों की परिभाषा का आधार नहीं हो सकता।

आरक्षण के मानदंड: आरक्षण प्रणाली ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से हाशिए पर पड़े लोगों को समान अवसर प्रदान करने के लिए बनाई गई है। आरक्षण का आधार बहुआयामी है, जो वंचितता के विभिन्न आयामों में समान अवसर प्रदान करने के व्यापक प्रयास को दर्शाता है। आरक्षण के लिए प्रयुक्त मानदंडों का विवरण इस प्रकार है:

आरक्षण का आधार

जाति: अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षण भारत में सकारात्मक कार्यवाई का सबसे पुराना रूप है। इन समूहों को ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़न और बहिष्कार का सामना करना पड़ा है, और आरक्षण का उद्देश्य उन्हें शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अधिक पूर्ण रूप से भाग लेने में मदद करना है।

जनजाति: जाति-आधारित आरक्षणों की तरह, अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त आदिवासी समुदायों को भी आरक्षण प्रदान किया जाता है। ये समुदाय आमतौर पर अलग-थलग रहते हैं और शिक्षा एवं आर्थिक अवसरों तक उनकी पहुँच बहुत कम है।

सामाजिक-शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन: अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), समुदायों का एक विविध समूह जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से वंचित हैं, लेकिन उतने गंभीर रूप से वंचित नहीं हैं और इसलिए एससी या एसटी के रूप में योग्य नहीं हैं, उन्हें भी आरक्षण प्राप्त है। यह श्रेणी व्यापक है और जनसंख्या के एक बड़े प्रतिशत को शामिल करती है। ये सभी धर्मों में आते हैं। (अनुच्छेद 15 और 16)

क्षेत्र (नियुक्तियों में): कुछ मामलों में, विशेष रूप से सरकारी नियुक्तियों में, क्षेत्र-आधारित आरक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं कि स्थानीय आबादी को उचित प्रतिनिधित्व और अवसर प्राप्त हों, खासकर उन क्षेत्रों में जो अविकसित हो सकते हैं या जिनकी विशिष्ट प्रशासनिक आवश्यकताएँ हैं। इसे भूमिपुत्र कहा जाता है (अनुच्छेद 16)।

लिंग: शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय सरकारी निकायों (जैसे पंचायती राज संस्थाओं) और कुछ नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण या कोटा का उद्देश्य लैंगिक असमानताओं को दूर करना और महिलाओं को सशक्त बनाना है। (अनुच्छेद 15)

आर्थिक कमज़ोरी: समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), चाहे उनकी जाति या धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के पात्र हैं। यह श्रेणी हाल ही में उन लोगों की मदद के लिए शुरू की गई है जो आर्थिक रूप से वंचित हैं, लेकिन मौजूदा आरक्षित श्रेणियों में नहीं आते हैं। (अनुच्छेद 15 और 16) - 103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2019।

आरक्षण के आधार के रूप में धर्म: धर्म, अपने आप में, भारत में आरक्षण के लिए संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त आधार नहीं है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है और धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता

है (अनुच्छेद 15)। इसलिए, केवल धार्मिक पहचान के आधार पर आरक्षण आमतौर पर स्वीकार्य नहीं है। हालाँकि, सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित धार्मिक समूहों के सदस्य अन्य आरक्षण श्रेणियों में आ सकते हैं यदि वे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस) का हिस्सा होने जैसे मानदंडों को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त, धार्मिक अल्पसंख्यकों (जैसे, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी) पर लक्षित छात्रवृत्ति या कल्याणकारी कार्यक्रम जैसे विशिष्ट उपाय आरक्षण के रूप में नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक कल्याण पहल के एक भाग के रूप में लागू किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य इन समुदायों के सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का उत्थान करना है।

इस प्रकार, भारत में आरक्षण नीति एक जटिल प्रणाली बनी हुई है, जिसे संविधान द्वारा निर्धारित राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष और समावेशी ढाँचे को बनाए रखने के प्रयास के साथ-साथ विभिन्न आयामों में ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए तैयार किया गया है।

मुसलमान और आरक्षण: मुसलमानों के लिए आरक्षण का मुद्दा मुख्यतः धार्मिक पहचान के बजाय सामाजिक-आर्थिक मानदंडों पर आधारित है, जो समानता और गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने के संवैधानिक आदेशों के अनुरूप है।

सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन: मुसलमानों के लिए आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि पिछड़ेपन के सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर आधारित है। यह संवैधानिक ढाँचे के अनुरूप है जो केवल धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) और विभिन्न राज्य आयोग आरक्षण के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक संकेतकों के आधार पर समुदायों का मूल्यांकन करते हैं।

सच्चर समिति की रिपोर्ट: 2006 की सच्चर समिति की रिपोर्ट ने भारत में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक-आर्थिक अभावों को स्पष्ट रूप से उजागर किया। इसमें अनुभवजन्य आँकड़े प्रस्तुत किए गए हैं जिनसे पता चलता है कि शैक्षिक योग्यता, आर्थिक स्थिति और सार्वजनिक रोजगार में प्रतिनिधित्व के मामले में मुसलमान औसतन अन्य समुदायों से पीछे हैं। इस रिपोर्ट ने जहाँ भी लागू हो, ओबीसी सूची में मुस्लिम समुदायों को शामिल करने संबंधी नीतियों को सूचित किया है।

राज्यों में आरक्षण:

केरल: संपूर्ण मुस्लिम समुदाय के लिए ओबीसी आरक्षण प्रदान करता है और उनके बीच व्यापक सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को मान्यता देता है।

तमिलनाडु: लगभग 95% मुस्लिम समुदायों को उनकी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए राज्य के ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत शामिल किया गया है।

बिहार: ओबीसी को पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग में विभाजित कर दिया गया है। अधिकांश मुस्लिम समुदाय अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं, जो अधिक सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाता है।

कर्नाटक: ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत मुसलमानों के लिए एक विशिष्ट उप-श्रेणी बनाई गई है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मुसलमानों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर उचित हिस्सा मिले। ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले (1992) या मंडल आयोग के मामले ने पिछड़े वर्गों को पिछड़ा, अधिक पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा जैसी उप-श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए न्यायिक समर्थन प्रदान किया। यह वर्गीकरण आरक्षण के प्रति अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभ उन लोगों

तक पहुँचें जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यह निर्णय इस बात पर जोर देता है कि आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर आधारित होना चाहिए, न कि धर्म पर।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस): हाल ही में, सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत, जाति, धर्म या अन्य सामाजिक संकेतकों के बावजूद आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का एक और प्रयास है। इस श्रेणी का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो आर्थिक रूप से वंचित हैं, लेकिन पारंपरिक आरक्षण श्रेणियों के अंतर्गत योग्य नहीं हैं।

आरक्षण का धार्मिक आधार: एक धार्मिक समूह के रूप में, मुसलमानों को केवल धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलता, क्योंकि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को प्रतिबंधित करता है।

अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षण:

अनुसूचित जाति आरक्षण उन धर्मों तक ही सीमित है जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा माना जाता है, जिनमें हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन शामिल हैं।

मुसलमानों और ईसाइयों को अनुसूचित जाति आरक्षण से बाहर रखा गया है क्योंकि वे हिंदू सामाजिक व्यवस्था के ढांचे में नहीं आते हैं।

अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण:

सभी धर्मों में अनुसूचित जनजाति आरक्षण उपलब्ध है, जो विभिन्न धार्मिक समूहों के भीतर जनजातीय समुदायों को मान्यता प्रदान करता है। मुस्लिम अनुसूचित जनजातियाँ दुर्लभ हैं, लेकिन यदि वे मान्यता प्राप्त जनजातीय समुदायों से संबंधित हैं, तो वे अनुसूचित जनजाति आरक्षण के पात्र हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण: कई मुसलमान पारंपरिक व्यवसायों से जुड़ी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों या कुछ क्षेत्रों में प्रदर्शित पिछड़ेपन के कारण

ओबीसी (सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, एसईबीसी) आरक्षण के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं।

ओबीसी सूची में शामिल होना धार्मिक पहचान के बजाय सामाजिक-आर्थिक मानदंडों पर आधारित है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण: ईडब्ल्यूएस आरक्षण मुसलमानों सहित सभी धर्मों के व्यक्तियों के लिए खुला है, जो एससी, एसटी या ओबीसी श्रेणियों से संबंधित नहीं हैं और जिनकी पारिवारिक आय एक निर्दिष्ट सीमा से नीचे है।

इस श्रेणी का उद्देश्य आवेदक की जाति या धर्म पर विचार किए बिना आर्थिक आवश्यकता के आधार पर अवसर प्रदान करना है। भारत के विभिन्न राज्यों में मुसलमानों के लिए आरक्षण संविधान के ढांचे के भीतर सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह समझना आवश्यक है कि ये आरक्षण विशिष्ट समुदायों में प्रदर्शित पिछड़ेपन के आधार पर दिए जाते हैं, न कि धार्मिक पहचान के आधार पर। यह दृष्टिकोण समानता, गैर-भेदभाव और सामाजिक न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य देश भर में आर्थिक और शैक्षिक रूप से वंचित समूहों का उत्थान करना है।

12. उपर्युक्त तर्क के आलोक में, **रेणु एवं अन्य बनाम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली एवं अन्य (2014) 14 एससीसी 50** के पैरा संख्या 6 से 14 और 16 में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, इसे निम्नानुसार माना जाता है:-

“6. संविधान का अनुच्छेद 14 अवसर की समानता प्रदान करता है। यह हमारे संविधान की आधारशिला है।

7. आई.आर. कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य [(2007) 2 एससीसी 1: एआईआर 2007 एससी 861] में, इस न्यायालय द्वारा मूल विशेषताओं के सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार की गई है: (एससीसी पृष्ठ 108, पैरा 141)

"141. मूल ढाँचे का सिद्धांत यह मानता है कि संविधान के कुछ भाग या पहलू, जिनमें अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 व 19 शामिल हैं, ऐसे मूल मूल्य हैं जिन्हें यदि निरस्त कर दिया गया तो संविधान का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। मौलिक अधिकारों का बहिष्कार मूल ढाँचे के सिद्धांत को निष्प्रभावी कर देगा, जिसका उद्देश्य संविधान की मूल विशेषताओं की रक्षा करना है, जैसा कि भाग III में अधिकारों के संक्षिप्त दृष्टिकोण से संकेत मिलता है।

8. चूँकि अनुच्छेद 14 हमारी व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, इसलिए राज्य के प्रत्येक कार्य को समानता की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अधिदेश का उल्लंघन करते हुए की गई कोई भी नियुक्ति न केवल अनियमित है, बल्कि अवैध भी है और इस न्यायालय द्वारा दिल्ली विकास बागवानी कर्मचारी संघ बनाम दिल्ली प्रशासन, हरियाणा राज्य बनाम पियारा सिंह, प्रभात कुमार शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जे.ए.एस. इंटर कॉलेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश आवास बोर्ड बनाम मनोज श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड बनाम एस.सी. पांडे और मध्य प्रदेश राज्य बनाम संध्या तोमर में दिए गए निर्णयों के मद्देनजर इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता।

9. आबकारी अधीक्षक बनाम के.बी.एन. विश्वेश्वर राव मामले में, इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ ने भारत संघ बनाम एन. हरगोपाल मामले में अपने पहले के फैसले पर पुनर्विचार किया, जिसमें यह माना गया था कि रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती पर जोर देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को सीमित

करने के बजाय उन्हें आगे बढ़ाता है। हालाँकि, रोजगार कार्यालय द्वारा नामों को प्रायोजित न करने की संभावना के कारण, इस न्यायालय ने माना कि आवेदन आमंत्रित किए बिना अस्थायी या तदर्थ आधार पर भी कोई भी नियुक्ति संविधान के उक्त प्रावधानों का उल्लंघन है और भले ही उम्मीदवारों के नाम रोजगार कार्यालय से मांगे गए हों, इसके अलावा, नियोक्ता के लिए खुले बाजार से सभी योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करना अनिवार्य है क्योंकि केवल रोजगार कार्यालय से नाम आमंत्रित करना संविधान के उक्त अनुच्छेदों की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। न्यायालय ने आगे कहा: (के.बी.एन. विश्वेश्वर राव मामला, एससीसी पृष्ठ 218 पैरा 6)

“6. ... इसके अतिरिक्त, संबंधित विभाग... को व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा नाम मँगवाने चाहिए और अपने कार्यालय सूचना... और रोजगार समाचार बुलेटिनों में भी प्रदर्शित करना चाहिए; और फिर आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के मामलों पर विचार करना चाहिए। यदि यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। रोजगार के मामले में अवसर की समानता सभी योग्य उम्मीदवारों को उपलब्ध होगी।”

10. सुरेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य मामले में, इस न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस निर्णय को बरकरार रखा जिसमें पुलिस विभाग में बिना विज्ञापन के की गई 1600 नियुक्तियाँ रद्द कर दी गईं, हालाँकि पंजाब पुलिस नियम, 1934 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि चयन प्रक्रिया दोषपूर्ण थी क्योंकि योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए कोई विज्ञापन और उचित प्रचार नहीं किया गया था।

11. सं.लो.से.आ. बनाम गिरीश जयंती लाल वाघेला में, इस न्यायालय ने कहा: (एससीसी पृष्ठ 490, पैरा 12):

“12. ... राज्य के अंतर्गत किसी भी पद पर नियुक्ति तभी की जा सकती है जब योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए उचित विज्ञापन दिया गया हो और विशेषज्ञों के एक निकाय या एक विशेष रूप से गठित समिति, जिसके सदस्य निष्पक्ष हों, द्वारा लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या किसी अन्य तर्कसंगत मानदंड के माध्यम से चयन किया गया हो, ताकि विज्ञापन के जवाब में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक योग्यता का आकलन किया जा सके... राज्य या संघ के अंतर्गत किसी पद पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किए बिना और सभी योग्य उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा करने का उचित अवसर प्रदान करने के लिए उचित चयन किए बिना की गई कोई भी नियमित नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत निहित गारंटी का उल्लंघन होगी।”

12. सार्वजनिक नियुक्तियों के मामले में अपनाए जाने वाले सिद्धांत इस न्यायालय द्वारा एम.पी. स्टेट को-ऑप. बैंक लिमिटेड बनाम नानूराम यादव मामले में निम्नानुसार तैयार किए गए हैं: (एससीसी पृष्ठ 274-75, पैरा 24)

“(1) नियमों/सरकारी परिपत्रों के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और बिना विज्ञापन या खुले बाजार से आवेदन आमंत्रित किए की गई नियुक्तियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन मानी जाएँगी।

(2) नियमितीकरण नियुक्ति का तरीका नहीं हो सकता।

(3) कानून के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करके और विशेष रूप से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यक योग्यताओं की अनदेखी करके की गई नियुक्ति पूरी तरह से अवैध होगी। नियमितीकरण का सहारा लेकर ऐसी अवैधता को ठीक नहीं किया जा सकता।

(4) जो लोग पिछले दरवाजे से आते हैं, उन्हें उसी दरवाजे से जाना चाहिए।

(5) भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत प्रदत्त वैधानिक शक्ति के प्रयोग में कोई नियमितीकरण अनुमन्य नहीं है यदि नियुक्तियाँ वैधानिक नियमों के उल्लंघन में की गई हैं।

(6) न्यायालय को अनुचित सहानुभूति पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

(7) यदि की गई गड़बड़ी इतनी व्यापक और सर्वव्यापी है कि परिणाम को प्रभावित कर रही है, जिससे उन लोगों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है जिन्हें अवैध रूप से लाभ पहुँचाया गया है या जिन्हें गलत तरीके से उनके चयन से वंचित किया गया है, तो प्रत्येक चयनित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से कारण बताओ नोटिस जारी करना न तो संभव होगा और न ही आवश्यक। एकमात्र उपाय पूरे चयन को रद्द करना होगा।

(8) जब पूरा चयन ही संदिग्ध हो, धोखाधड़ी से किया गया हो और छल से किया गया हो, तो व्यक्तिगत निर्दोषता का कोई स्थान नहीं है और पूरे चयन को रद्द करना होगा।

13. इसी तरह का विचार इस न्यायालय की संविधान पीठ ने कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी (3) में दोहराया है, जिसमें कहा गया है कि वैधानिक नियमों के उल्लंघन में की गई कोई भी नियुक्ति, साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन, अमान्य होगी। "सार्वजनिक रोजगार की प्रक्रिया में संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का पालन अनिवार्य है।" न्यायालय ने इस प्रार्थना को भी खारिज कर दिया कि लंबे समय से कार्यरत तदर्थ नियुक्तियों को नियमितीकरण के लिए विचार किया जाए क्योंकि ऐसा करने से राज्य को अपने ही नियमों का उल्लंघन करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और इससे प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे कई लोगों की कीमत पर कुछ लोगों को अनुचित लाभ मिलेगा।

14. उड़ीसा राज्य बनाम ममता मोहंती मामले में, इस न्यायालय ने सभी को अवसर की समानता प्रदान करने के संवैधानिक सिद्धांत पर विचार किया, जिसके अनुसार रक्तियों की सूचना अग्रिम रूप से दी जानी अनिवार्य है, अर्थात् भर्ती की सूचना सार्वजनिक रूप से उचित तरीके से प्रसारित की जानी चाहिए ताकि सभी पात्र उम्मीदवारों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो सके, जिससे समान अवसर का अधिकार प्रभावी हो। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया: (एससीसी पृष्ठ 452, पैरा 36)

“36. इसलिए, यह एक स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि सभी पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए बिना किसी भी व्यक्ति को अस्थायी या तदर्थ आधार पर भी नियुक्त नहीं किया जा सकता। यदि कोई नियुक्ति केवल रोजगार कार्यालय से नाम आमंत्रित करके या नोटिस बोर्ड पर नोट लगाकर की जाती है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगी। ऐसा कदम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के आदेशों का उल्लंघन करता है क्योंकि यह पद के लिए योग्य उम्मीदवारों को विचार से वंचित करता है। इन प्रावधानों का उल्लंघन करके नियोजित व्यक्ति वेतन सहित किसी भी राहत का हकदार नहीं है। एक वैध और कानूनी नियुक्ति के लिए उक्त संवैधानिक आवश्यकता का अनिवार्य अनुपालन पूरा किया जाना आवश्यक है। अनुच्छेद 16 में निहित समानता खंड के अनुसार, ऐसी प्रत्येक नियुक्ति एक खुले विज्ञापन द्वारा की जानी चाहिए ताकि सभी पात्र व्यक्ति योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।”

16. सार्वजनिक नियुक्ति की एक अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकता पारदर्शिता है। इसलिए, विज्ञापन में चयन और भर्ती के लिए उपलब्ध पदों की संख्या का उल्लेख होना चाहिए। ऐसे पदों के लिए योग्यता और अन्य पात्रता मानदंड स्पष्ट रूप से दिए जाने चाहिए और भर्ती प्रक्रिया की अनुसूची निश्चितता और स्पष्टता के साथ प्रकाशित की जानी चाहिए। विज्ञापन में उन नियमों का भी उल्लेख होना चाहिए जिनके तहत चयन

किया जाना है और नियमों के अभाव में, चयन प्रक्रिया किस प्रक्रिया के तहत की जा सकती है। यह आवश्यक है ताकि मनमानी को रोका जा सके और चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद चयन के मानदंडों में बदलाव न हो, जिससे दूसरों की कीमत पर किसी को अनुचित लाभ न हो।”

13. इसके बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक और निर्णय में, **अमृत यादव बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य**, सिविल अपील संख्या 13950-13951/2024, में यह माना गया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी का पद है, तो उसे संविधान के अनुच्छेद 309 के साथ अनुच्छेद 14 और 16 जैसे संवैधानिक प्रावधानों का उचित पालन करने के बाद ही भरा जाना आवश्यक है। इन तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 27.07.2022 को पारित सीडब्ल्यूजेसी 11447/2018 के आदेश को उपरोक्त प्रभाव से संशोधित किया जाता है।

14. **अंजुम कादरी बनाम भारत संघ एवं अन्य**, (2025) 5 एससीसी 53, के मामले में पैराग्राफ संख्या 39 और 40 में यह निम्नानुसार माना गया है:

“39. अनुच्छेद 14, 15 और 16 राज्य को सभी लोगों के साथ उनके धर्म, आस्था या विश्वास के बावजूद समान व्यवहार करने का आदेश देते हैं। [एस.आर. बोम्मई केस, (1994) 3 एससीसी 1, पैरा 304: (1994) 2 एससीआर 644, (बी.पी. जीवन रेड्डी, जे.)] अनुच्छेद 14 में प्रावधान है कि राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में प्रावधान है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर सार्वजनिक रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16(2) में आगे प्रावधान है कि राज्य के अधीन किसी भी रोजगार या पद के संबंध में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।

40. धर्मनिरपेक्षता समानता के अधिकार के पहलुओं में से एक है। [एम. इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ, (1994) 6 एससीसी 360, पैरा 37] अनुच्छेद 14, 15 और 16 में उल्लिखित समानता संहिता इस सिद्धांत पर आधारित है कि सभी व्यक्तियों को, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, समाज में भाग लेने के लिए समान पहुँच होनी चाहिए। राज्य सार्वजनिक रोजगार के मामलों में किसी विशेष धर्म से संबंधित व्यक्तियों को वरीयता नहीं दे सकता। इसके परिणामस्वरूप, समानता संहिता राज्य को किसी भी धर्मनिरपेक्ष गतिविधि के साथ धर्म को मिलाने से रोकती है। [एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, (1994) 3 एससीसी 1, पृष्ठ 10 146, पैरा 148: (1994) 2 एससीआर 644, (सावंत, जे.) "148. हमारे संविधान के तहत धर्मनिरपेक्षता पर उपरोक्त चर्चा से एक बात जो प्रमुख रूप से उभर कर आती है, वह यह है कि राज्य का धर्मों, धार्मिक संप्रदायों और संप्रदायों के प्रति चाहे जो भी रवैया हो, धर्म को राज्य की किसी भी धर्मनिरपेक्ष गतिविधि के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। वास्तव में, धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों में धर्म का अतिक्रमण सख्त वर्जित है।"] हालाँकि, संविधान यह मानता है कि व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार तब तक भ्रमपूर्ण है जब तक राज्य इस संबंध में सक्रिय कदम नहीं उठाता। इसलिए, समानता संहिता राज्य पर कुछ सकारात्मक दायित्व डालती है कि वह सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करे, चाहे उनका धर्म, आस्था या विश्वास कुछ भी हो। [एस.आर. बोम्मई मामला, (1994) 3 एससीसी 1, पृ. 33, पैरा 304 : (1994) 2 एससीआर 644, (बी.पी. जीवन रेड्डी, जे.) "304. ... अनुच्छेद 14, 15 और 16 राज्य को अपने सभी लोगों के साथ उनके धर्म, जाति, आस्था या विश्वास के बावजूद समान व्यवहार करने का आदेश देते हैं। जबकि इस देश के नागरिक अपनी पसंद के धर्म, आस्था या विश्वास को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं, जहाँ तक राज्य का संबंध है, अर्थात् राज्य के दृष्टिकोण से, किसी व्यक्ति का धर्म, आस्था या विश्वास महत्वहीन है। इसके लिए, सभी समान हैं और सभी समान व्यवहार के हकदार हैं। यह समान व्यवहार कैसे संभव है, यदि राज्य किसी विशेष धर्म, नस्ल या जाति

को प्राथमिकता देता है या बढ़ावा देता है, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है अन्य सभी धर्मों, नस्लों और जातियों के साथ कम अनुकूल व्यवहार। सामाजिक न्याय, विश्वास, आस्था या पूजा की स्वतंत्रता और स्थिति और अवसर की समानता के संवैधानिक वादे कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं जब तक कि राज्य धर्म का त्याग न करे, किसी व्यक्ति की आस्था या विश्वास को उसके अधिकारों, उसके कर्तव्यों और उसके हकों के साथ व्यवहार करते समय पूरी तरह से अलग क्यों रखा जाता है? इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता धार्मिक सहिष्णुता के एक निष्क्रिय रवैये से कहीं अधिक है। यह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की एक सकारात्मक अवधारणा है। कुछ लोग इस रवैये को धर्म के प्रति तटस्थता या परोपकारी तटस्थता के रूप में वर्णित करते हैं। यह पश्चिमी उदारवादी विचारों द्वारा विकसित एक अवधारणा हो सकती है या जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, यह भारतीय लोगों के साथ हर समय एक स्थायी आस्था हो सकती है।”

15. सार्वजनिक पदों को भरने की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 14 और 16

लागू होते हैं, इसलिए, यह मामले की जड़ तक जाएगा क्योंकि नीतिगत निर्णय मरकज़ के स्वयंसेवकों/शिक्षकों के पदों पर चयन और नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है और केवल एक विशेष समुदाय के लिए आरक्षित करता है। इसलिए, राज्य का नीतिगत निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप नहीं है। किसी विशेष समुदाय के लिए सार्वजनिक पदों को भरने पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी भी संवैधानिक प्रावधान के अभाव में, 26.11.2008 का नीतिगत निर्णय संविधान की योजना के अनुरूप नहीं है, इसलिए, हमें 26.11.2008 के नीतिगत निर्णय को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 का आह्वान करना होगा। तदनुसार, 26.11.2008 का नीतिगत निर्णय रद्द किया जाता है। परिणामस्वरूप, प्रतिवादियों की नियुक्ति रद्द की जाती है, जिससे राज्य/अपीलकर्ताओं को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप नीति बनाने की स्वतंत्रता मिलती है। राज्य की नई नीति विकसित करते समय, तथा यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप होनी चाहिए, दिनांक

26.11.2008 की नीति के अनुसार स्वयंसेवकों/शिक्षकों के पद पर नियुक्त व्यक्तियों को तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि राज्य द्वारा शुरू की जाने वाली नई नीति के संदर्भ में चयन और नियुक्ति की नई प्रक्रिया शुरू नहीं कर दी जाती।

16. इस स्तर पर, राज्य/अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने, निर्देशानुसार, यह तर्क दिया कि राज्य ने एक नई नीति विकसित की है और उन्हें इस नई नीति को लागू करने की अनुमति दी जा सकती है। उन्हें इस नई नीति को लागू करने की अनुमति है, बशर्ते कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप हो और उपर्युक्त न्यायिक निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप हो।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(एस. बी. प्र. सिंह, न्यायमूर्ति)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।